फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री राजकुमार **विपक्षी : राज्य**

किस्म मुकदमा – 131 भू.रा. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 97/23**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 25.06.2023	

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प थामला में पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त, शामिल फाईल किया जावे, रेकार्ड पर लिया जाता हैं। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा अपने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा जवाब नहीं देना चाहकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया। प्रार्थी के अनुसार आराजी नम्बर 3227 व 3228 को राजस्व नक्शें में सेग्रीगेशन के दौरान आपस में अदला बदली कर देने से सेग्रीग्रेशन से पूर्व नक्शें अनुसार सही तरमीम किया जाने का निवेदन किया। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के आराजी नम्बर 3227 जो कि सेग्रीगेशन से पूर्व लट्ठाशीट के अनुसार पूर्व दिशा में एवं आराजी नम्बर 3228 पश्चिम दिशा में अंकित था जो वक्त सेग्रीगेशन दोनों आराजीयात की दिशा आपस में परिवर्तित होना बताकर लट्ठा शीट अनुसार सही तरमीम किये जाने पर सहमति व्यक्त की। अतः तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार उक्त त्रुटि सेग्रीगेशन के दौरान होना जाहिर हुआ है। प्रार्थी द्वारा आराजी नम्बर 3227 व 3228 को राजस्व नक्शें में पुनः सही तरमीम किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

:: आदेश ::

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू.रा.अ. का स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा जावड की ढाणी पटवार हल्का जावड की आराजी नम्बर 3227 व 3228 को तहसीलदार मावली से प्रस्तावित नक्शे एवं लट्ठा शीट अनुसार आराजी नम्बर 3227 पूर्व दिशा व 3228 पश्चिम दिशा में जमाबन्दी के रकबे अनुसार तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किया जाने हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:34:06 IST
Reason: SelfAttested